

आदेश न इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 540/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यस बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय चतुर्थ तल, आनन्द भवन, प्लॉट नम्बर 307, संसार चंद रोड, चौकडी हवेली, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. पिकू कुमार

पता :- मकान नम्बर 118, ब्राह्मण मोहल्ला मंगाली अंकला (161) हिसार हरियाणा।

एवं फोरेस्ट एरिया टोडलडी गांव सिपाली मोड, प्रतापगढ, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर एल-510, पांचवी मंजिल, स्वप्न निलय, स्थित खसरा नम्बर 314/462, 314/463, 323/2 एवं 324 ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2. किरण

पता :- मंगाली अंकला (161) हिसार हरियाणा।

एवं प्लेट नम्बर एल-510, पांचवी मंजिल, स्वप्न निलय, स्थित खसरा नम्बर 314/462, 314/463, 323/2 एवं 324 ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :-

1. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक 04.09.2025

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.01.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती किरण पत्नी पिकू कुमार के स्वामित्व की सम्पत्ति 314/462, 314/463, 323/2 एवं 324 ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के पंचम तल पर स्थित प्लेट नम्बर एल-510 क्षेत्रफल 574 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 12,92,076/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि **12,92,076/-** रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **13,74,920.98/-** रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक **03.12.2024** को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्रीमती किरण पत्नी पिकू कुमार** के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति **314/462, 314/463, 323/2 एवं 324** ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के पंचम तल पर स्थित **फ्लैट नम्बर एल-510 क्षेत्रफल 574 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक **04.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

360-1  
24/9/25